B-II
L-21
Polity

केशवानन्द भारती वाद से जो परम्परा आरम्भ हुई उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने अनेक संविधान संशोधनों को रद्द किया, जिसमें 39 वाँ, 42 वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के खण्ड (4) और (5) तथा 99 वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया जिसका मूल कारण आधारभूत ढाँचे का उल्लंघन माना गया।

संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और न्यायिक पुनराविलोकन →

1. भारत में संविधान की सर्वोच्चता के विचार को अपनाया गया है और संसद को अनुच्छेद-368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है परंतु संसद का यह आरोप है कि न्यायालय ने आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत के माध्यम से संसद की शक्तियों को छीन लिया और न्यायालय ने शक्ति पृथक्करण के विचार का उल्लंघन किया। परंतु न्यायालय का तर्क है कि उसने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को नहीं

छीना है अपितु संसद की सर्वोच्चता के विचार को सीमित किया है, संसद के संविधान संशोधन की स्वेच्छाचारी और मनमानी शक्तियों को नियंत्रित किया है। यदि न्यायालय ने संविधान संशोधन की शक्ति को छीना होता तो संसद 106 संविधान संशोधन नहीं कर पाती।

आधारभूत ढाँचा अपरिभाषित →

1. उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्ष 1973 से आज तक आधारभूत ढाँचे को परिभाषित नहीं किया गया बल्कि उच्चतम न्यायालय ने यह कह दिया कि यह भारतीय संविधान का दर्शन है, सिद्धांत है तथा उसकी आत्मा है। उच्चतम न्यायालय ने 1973 से अभी तक दिए गए अपने निर्णयों में आधारभूत ढाँचे की निम्नलिखित सूचियों का निर्माण किया गया है-

i) न्यायालय की स्वतंत्रता

ii) न्यायिक पुनराविलोकन

iii) विधि का शासन

iv) लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक शासन

v) राष्ट्र की अखण्डता

vi) शक्ति का पृथक्करण

vii) स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन और संघीय शासन

viii) पंथनिरपेक्षता

ix) अनुच्छेद - 32 और अनुच्छेद 368

x) मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच का समन्वय।

मूल ढाँचे में किसी भी नए विषय को जोड़ने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है और उच्चतम न्यायालय ही 13 न्यायाधीशों से बड़ी बेंच के द्वारा आधारभूत ढाँचे/ मूलभूत ढाँचे को परिवर्तित कर सकता है।

मूलभूत ढाँचे के सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि यदि संसद के पास दो तिहाई बहुमत हो जाए और संसद अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का भी पालन करे तो भी मूलभूत ढाँचे में

बदलाव सम्भव नहीं है अत! मूलभूत ढाँचे संसद की संशोधन की सीमा से परे है इसीलिए संविधानवाद की स्थापना होती है जो संविधान की सर्वोच्चता का विचार है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा यह कहा गया कि संसद आधारभूत ढाँचे का निर्धारण करेगी जो जनता की इच्छा का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है लेकिन न्यायालय का तर्क है कि बहुमत की इच्छा से संविधान नहीं चलता अपितु यह विधि के द्वारा निर्धारित होता है।

नवीन सूची और आधारभूत ढाँचा →

1. आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत को पलटने के लिए संसद के द्वारा 42 वें संविधान संसोधन के माध्यम से अनुच्छेद 368 में खण्ड IV और V जोड़ गए जिसमें यह उल्लिखित किया गया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति का

न्यायिक पुनराविलोकन नहीं होगा और संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने इन प्रावधानों को असंवैधानिक कर दिया और न्यायालय ने कहा कि न्यायिक पुनराविलोकन आधारभूत ढाँचा है जिसका संसो-धन सम्भव नहीं है। आधारभूत ढाँचे के अति-क्रमण के हेतु संसद के द्वारा दूसरा प्रयास नौवीं सूची के माध्यम से किया गया क्योंकि पहले संविधान संशोधन के द्वारा नौवीं अनु-सूची को न्यायिक पुनराविलोकन से बाहर रखा गया था जो केवल भूमि सुधार अधिनियमों को संरक्षित करने के लिए था लेकिन इसमें निम्न लिखित विषय शामिल किए गए जिसका भूमि सुधार से कोई सम्बन्ध नहीं था –

i) COFEPOSA

ii) तमिलनाडु का आरक्षण (69)
iii) व्यापार एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक अधिनियम।

२. उच्चतम न्यायालय ने नौ वीं अनुसूची के दुरुपयोग को रोकने के लिए I. R. Colho के ऐतिहासिक वाद में कहा कि अब नौवीं अनुसूची भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में होगी लेकिन इस पर दो शर्तें आरोपित की गई :-

i) यह विषय २४ अप्रैल 1973 के बाद नौ वीं अनुसूची में शामिल किया गया हो।

ii) इससे आधारभूत ढाँचे का अतिक्रमण होता हो इसलिए अब आधारभूत ढाँचे के उल्लंघन के लिए नौवीं अनुसूची का दुरूपयोग भी सम्भव नहीं है।

3. मूल संविधान में अनुच्छेद 13 के खण्ड (II) के द्वारा केवल मूल अधिकारों के लिए

विशेष संरक्षण प्राप्त था लेकिन आधारभूत ढाँचे से इसका विस्तार हो गया क्योंकि अब संविधान के सभी महत्वपूर्ण भागों को संरक्षण प्राप्त हो गया।

मूल अधिकार और आधारभूत ढाँचा :-

1. यह मुद्दा अत्यधिक दिलचस्प है कि केशवानन्द भारती वाद में मूल अधिकार को आधारभूत ढाँचे का भाग नहीं माना गया लेकिन उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि निम्न लिखित मूल अधिकारों को आधारभूत ढाँचे में शामिल किया जा सकता है-

i) विधि का शासन मूलभूत ढाँचा है या आधारभूत ढाँचा है जो सीधे अनुच्छेद-14 से जुड़ा हुआ है।

ii) लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक शासन आधारभूत ढाँचा है जो अनुच्छेद - 19, 20, 21 के बिना संभव

नहीं है।

iii) पंथनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढाँचा है इसलिए अनुच्छेद -25 से 30 तक के अधिकारों को आधारभूत ढाँचे में शामिल किया जा सकता है।

iv) न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढाँचा है जो अनुच्छेद -32 से प्राप्त होता है।

2. इससे यह प्रतीत होता है कि संविधान के मूल अधिकार आधारभूत ढाँचे के ही भाग हैं जिन्हें संशोधन द्वारा हटाना संभव नहीं है।

आधारभूत ढाँचा और न्यायिक सक्रियता ->

---

1. संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपा-लिका तीनों के कार्य पृथक हैं और न्याया-लय के द्वारा विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप

को ही न्यायिक सक्रियता का नाम दिया गया है।

2. केशवानन्द भारती वाद से उच्चतम न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया और संविधान की भावना के नाम पर संविधान की नवीन व्याख्या भी आरंभ कर दिया जिससे संसद की शक्तियों पर हस्तक्षेप हुआ, ऐसा कार्यपालिका का तर्क है।

3. लेकिन न्यायपालिका ने कभी भी स्वयं को सक्रिय नहीं माना क्योंकि न्यायपालिका का कहना है कि संविधान जीवंत और गतिशील दस्तावेज है जिसकी व्याख्या परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ स्वभाविक रूप में बदल जाएगी।

सम्पत्ति का अधिकार >

1. 42 वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद- 31 (D) जोड़ा गया जिसके अनुसार भाग- IV के सभी निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद- 14, 19, 31 से प्राथमिक बना दिया गया। जिसके माध्यम से मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच का संतुलन ही प्रभावित / समाप्त हो गया।

2. उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स वाद में अनुच्छेद - 31 (D) को असंवैधानिक घोषित कर दिया और यह तर्क दिया कि सामाजिक न्याय के नाम पर मूल अधिकारों की उपेक्षा नहीं हो सकती। मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच का सम्बन्ध सामंजस्य पूर्ण संरचना के सिद्धांत पर आधारित है।

3. केवल 39 (b) (c) को तीन मूल अधिकारों से प्राथमिकता दी जाएगी → अनुच्छेद - 14, 19 और 31

44 वाँ संविधान संशोधन → 1978.

सम्पत्ति पर चलने वाले विवाद को जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया क्योंकि सम्पत्ति के मूल अधिकार अनुच्छेद - 19 (1) (f) और अनुच्छेद - 31 (1) (ii) को भाग - III से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद - 300(A) में स्थानांतरित कर दिया गया।